# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 61 / 2025

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

**–प्रार्थीया**

**बनाम्**

1. कालुराम पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर
2. काशीराम पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर
3. भजनलाल पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– अप्रार्थीगण**

5. नवीन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर
6. विनोद कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर

**– तरतीबी अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट**

उपस्थिति :–**श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता प्रार्थीया**

**श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अप्रार्थीगण**

**निर्णय** दिनांक: 29/05/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 36 / 34 की कुल 16 खसरेजात की 2. 7240 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी व आर्थीगण सं. 5 व 6 की सयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 111 / 36 की कुल 58 खसरेजात की 8.8530 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की सयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण अपने गावं पिचकराई से लकर स्वीकृत शुदा रास्ता से होते हुऐ अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के खेत रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 111 / 36 के प.न. 299 / 393 मु.न. 35 के किला नं. 25 / 2 मीन के दक्षिणी की 0.012 हैक्टर भूमि व किला नं. 24 मीन के दक्षिण की 0.013 हैक्टर भूमि से होते हुऐ अपने खेत रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 36 / 34 के प.न. 299 / 393 मु.न. 35 के किला नं. 23 में प्रवेश करके अपने खेत में आवागमन करते है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 अपने खेत में जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के प.न. 299 / 393 मु.न. 35 के किला नं. 25 / 2 मीन के दक्षिणी की 0.012 हैक्टर भूमि व किला नं. 24 मीन के दक्षिण की 0.013 हैक्टर भूमि में से होकर अपने खेत में आवागमन करते है इसके अलावा खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है यही सबसे नजदीक सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ता पर सदामत से चालु रास्ता है तथा खाता विभाजन के समय रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हो पाया। इसलिए प्रार्थी तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 व गैरसायलान अपनी आपसी सहमति से रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। सायल व गैरसायलान सं. 5 व 6 गैरसायलान सं. 1 ता 3 की रास्ते के बदले में आई भूमि के बदले बाजार भाव से किमत देने को तैयार है।

अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 111 / 36 के प.न. 299 / 393 मु.न. 35 के किला नं. 25 / व 24 में दक्षिण तरफ से पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावें। ताकि सायल अपने खेत में प्रवेश करे सके।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नोहर से रास्ता बाबात रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी स0 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते है बहस सुनी जावे।

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को अपने खातेदारी में जानी के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। अत रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 111/36 के प.न. 299/393 मु.न. 35 के किला नं. 25 / व 24 में दक्षिण तरफ से पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर से प्रार्थी के कथनो की पुष्टि होती है एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा भी निवेदन किया गया की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

प्रार्थी को उक्त रास्ता के अलावा अपनी खातेदारी में आवगामन हेतु अन्य कोई विकल्प नही है यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से प्रार्थीया की पूष्टी करती है अर्थात सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व निकटतम है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायला की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतीत होता है अर्थात सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है एवं अप्रार्थी द्वारा भी मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 111/36 के प.न. 299/393 मु.न. 35 के किला नं. 25/2 व 24 में दक्षिण तरफ से पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले सायल व तरतीबी गैरसायल के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर सायल की जो भूमि गैरसायलान के चिपती हुई है गैरसायलान के नाम दर्ज की जाती है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार अमल दरामद हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर